उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-3

संख्या-37/2022/928/30-3-2022-17बी/2016

लखनऊ: दिनांक 05 मई, 2022

संशोधन/शुद्धि पत्र

वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम चार माह (अप्रैल से जुलाई 2022 तक) के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष राजस्व पक्ष के विभिन्न लेखाशीर्षकों से संचालित योजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में शासनादेश संख्या-35/2022/749/30-3-22-17बी2016, दिनांक 02 मई, 2022 निर्गत किया गया है, जिसके अतंर्गत लेखाशीर्षक 3055-सडक परिवहन-800-अन्य व्यय-05-उ०प्र० सड़क सुरक्षा कोष से व्यय योजना के अंतर्गत विभिन्न मानक मदों में कुल धनराशि रू० 45.59 के स्थान पर धनराशि रू० 45.60 लाख एवं समस्त लेखाशीर्षकों के योग में कुल धनराशि रू० 9139.87 लाख के स्थान पर धनराशि रू० 9139.88 लाख, त्रुटिवश अंकित हो गया है।

अत: शासनादेश दिनांक 02 मई, 2022 के प्रस्तर-1 की शीर्षकवार तालिका की अंतिम लेखाशीर्षक-3055-800-05 के कुल योग 45.60 लाख के स्थान पर रू० **45.59** लाख तथा समस्त लेखाशीर्षकों (2235-3055) के कुल योग रू० 9139.88 लाख के स्थान पर रू० **9139.87** लाख पढ़ा जाय।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 02 मई, 2022 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष अन्य शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगी।

ह०/-

डा० अखिलेश कुमार मिश्रा,

विशेष सचिव।

संख्या-37/2022/928(1)/30-3-2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
4. परिवहन आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, उ०प्र०।
6. वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह०/-

(मदन मोहन)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in